भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 2034
उत्तर देने की तारीख- 11.12.2025

जनजातीय पहचान और सामूहिक अधिकारों का संरक्षण

2034. श्री सुखदेव भगत:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जनजातीय पहचान और सामूहिक अधिकारों को संरक्षित करने वाले सामुदायिक वन स्वामित्व के संरक्षण को प्राथमिकता नहीं दी है, जबकि तथ्य निष्कर्ष समिति ने इसे एक बड़ा अंतर बताया है;
(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) सरकारी दावों के सत्यापन में देरी को दूर करने और वन में रहने वाली जनजातियों के और हाशिए पर जाने से रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं;
(घ) छत्तीसगढ़ में एफआरए नोडल प्राधिकरण को ग्रामसभाओं से वन विभागों में स्थानांतरित किए जाने पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और
(ड) क्या इस कदम से आदिवासी स्व-शासन कमजोर होता है और यदि हाँ, तो एफआरए की मूल भावना को सुरक्षित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री
(श्री दुर्गादास उइके)

(क) और (ख): वन अधिकार अधिनियम, 2006 को अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों के साथ जंगल की ज़मीन और संसाधनों पर उनके अधिकारों को लंबे समय से मान्यता न मिलने के कारण हुए ऐतिहासिक अन्याय को खत्म करने के उद्देश्य से बनाया गया था। अधिनियम की धारा 3(1)(i) *"किसी भी सामुदायिक वन संसाधन जिसे वे पारंपरिक रूप से सतत उपयोग के लिए सुरक्षित और संरक्षित करते आ रहे हैं, की रक्षा करने, पुनर्जीवित करने या संरक्षित करने या प्रबन्धित करने के अधिकार"* के लिए प्रावधान करती है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय पहचान, पारंपरिक शासन प्रणालियों और वन संसाधनों तक उनकी सामूहिक पहुंच को सुरक्षा देने के उद्देश्य के साथ एफआरए के सही रूप और भावना के अनुसार (अक्षरश:)

सामुदायिक वन अधिकारों (सीएफआर) की सुरक्षा और मान्यता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासनों को परामर्श जारी किए हैं। इसके अलावा, मंत्रालय ने प्रभावी सीएफआर प्रशासन को प्रभावी बनाने के लिए 2023 में सामुदायिक वन संसाधनों के संरक्षण, प्रबंधन और सतत उपयोग के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं।

इसके अलावा, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए-जेजीयूए) के तहत राज्य सरकारों को समुदाय के नेतृत्व वाली वन प्रबंधन योजनाओं को तैयार करने और लागू करने सहित ग्राम सभाओं और सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन समितियों को सुदृढ़ करने के लिए ज़रूरी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

(ग) : जनजातीय कार्य मंत्रालय वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) के क्रियान्वयन की निगरानी करने और लंबित दावे के निपटारे में तेज़ी लाने के लिए आवधिक समीक्षा बैठकों के ज़रिए राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्रों प्रशासनों के साथ लगातार कार्यरत है। लम्बित मामलों की अधिक संख्या वाले राज्यों को विशेष तौर पर बैकलॉग के शीघ्र निपटान के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा, मंत्रालय ने राज्य सरकारों को बार-बार सलाह दी है कि वे दावों की समय पर जांच और निपटारे के लिए ग्राम सभाओं, उप-मंडलीय स्तरीय समितियों (एसडीएलसी) और जिला स्तरीय समिति (डीएलसी) की नियमित बैठकें सुनिश्चित करें। राज्य स्तरीय निगरानी समितियों (एसएलएमसी) से भी कहा गया है कि वे इस अधिनियम को प्रभावी और कुशलता से लागू करने के लिए ज़मीनी स्तर की समस्याओं की सक्रिय रूप से समीक्षा करें और उनका समाधान करें।

(घ) और (ड.): यह मामला छत्तीसगढ़ राज्य सरकार से संबंधित था और मामला सुलझ गया है। जनजातीय कार्य मंत्रालय वन अधिकार अधिनियम, 2006 की भावना की रक्षा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। एफआरए का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासन के साथ नियमित सलाह और समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं। समय-समय पर राज्यों के लिए कई क्षमता-निर्माण कार्यक्रम, तकनीकी सहायता और सलाह जारी की जाती हैं। मंत्रालय डीए-जेजीयूए जैसी योजनाओं के तहत लक्षित उपायों के माध्यम से प्रगति की निगरानी करता है और राज्यों को सहायता प्रदान करता है।

*****